


उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक B/4080 /
दो-14-9/83 भाग-चार बैंच

जबलपुर, दिनांक 04/07/2025

श्री वैभव उपरेती, जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को 'जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से मान्यता प्राप्त ग्वालियर लॉ कॉलेज, ग्वालियर से एलएल.बी.ट्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेने एवं परीक्षा' में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे, शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य मेंव्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा यदि अपने कर्तव्यस्थल पर अनुपस्थित पाये गये अथवा अध्ययनरत पाये गये तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिये अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(धर्मिन्दर सिंह)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/4081 /
दो-14-9/83 बैंच

जबलपुर, दिनांक 04/07/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 3934/स्था./34/स्था./2025 ग्वालियर, दिनांक 05.06.2025 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

// 2 //

3. डिप्ट रजिस्ट्रार कम—पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 4. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. श्री वैभव उपरेती, जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,
खंडपीठ ग्वालियर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)